राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–42 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियाँ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाँ, बिहार–845401

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
24.08.2022	श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियाँ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाँ, बिहार–845401 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–16.08.2022 इस कार्यालय में दिनांक–22.08.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–58F 969098 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री लक्ष्मी नारायण झा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–21.03.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–21.03.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–21.03.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–12.09.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 24/8/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–42 / 2022–23

आदेश फलक

12.09.2022

लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियॉ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियॉ, बिहार–845401 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–21.03.2022, (जो दिनांक–24.03.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है) के माध्यम से उनके द्वारा दिये गए आवेदन दिनांक–15.03.2022 पर कृत कार्रवाई की सूचना की मॉग की गई है।

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी ने सूचित किया है कि उक्त आवेदन जन शिकायत कोषांग, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–14 दिनांक–01.04.2022 के माध्यम से विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, पटना को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, द्वारा उक्त सूचना अपने पत्रांक–52 दिनांक–05.04.2022 के माध्यम से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी श्री झा ने प्रपत्र 'क' दिनांक–21.03.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की मॉग की थीः–

" Respectfully under reference through registered post and also through e-mail governorbihar@nic.in Complain against Lokayukta's office letter nos. 1183, date 04-03-2022 have been filed by way of enclosing etc documents 18Eighteen Sheets, besides its complain with Affidavit vide its Affidavit No. 2765 dt 15-03-2022 Six(6) sheets form procedure for granting sanction, Kindly let me know, what legal action has been taken in regard to procedure for granting sanction its correct or proper information may kindly be surprised on way of verifying the complain dated 15-03-2022"

उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–52 दिनांक–05.04.2022 के माध्यम से निम्नांकित सूचना भेजी गई हैः–

"सूचनीय है कि आपके द्वारा महामहिम राज्यपाल को समर्पित परिवाद दिनांक–15.03.2022 को लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–14 दिनांक–01.04.2022 के माध्यम से समेकित रूप से लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, पटना को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु भेजे गए पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है। "

अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में यह उल्लिखित किया गया है कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा जो पत्र संख्या–14 दिनांक–01.04.2022 की सूचना दी जा रही है, वह विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र ने संबंधित विषय बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 की अधिसूचित सेवाओं में सम्मलित नहीं होने के कारण पत्रांक–144 दिनांक–18.07.2022 के माध्यम से वापस कर दिया है। अपीलार्थी अपील के माध्यम से इस सूचना की मॉग कर रहे है कि श्री झा द्वारा समर्पित परिवाद पत्र दिनांक–15.03.2022 पुनः राज्यपाल सचिवालय में वापस होने के उपरांत इस पर क्या कार्रवाई की गई है।

अतः लोक सूचना पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी श्री झा द्वारा समर्पित परिवाद पत्र दिनांक–15.03.2022 पर विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र, सूचना भवन, पटना से 18 जूलाई, 2022 के उपर्युक्त पत्र के माध्यम से बापस प्राप्त होने के उपरांत की गई कार्रवाई की सूचना आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।

तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।

12/9/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
प्रथम अपीलीय प्राधिकार

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–59 (लो0सू0अ0)/2022–23
श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियाँ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाँ, बिहार–845401
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.11.2022	श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियाँ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाँ, बिहार–845401 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–15.11.2022 इस कार्यालय में दिनांक–17.11.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 869776 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री लक्ष्मी नारायण झा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–21.03.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। विदित हो कि उक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–21.03.2022 के आलोक में श्री झा द्वारा पूर्व में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा लिए गए निर्णय/दी गई सूचना के विरूद्ध अपने प्रथम अपील आवेदन दिनांक–16.08.2022 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के तहत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपर्युक्त अपील आवेदन दिनांक–16.08.2022 के आलोक में अपीलवाद संख्या–42/2022–23 प्रारंभ किया गया था तथा इसकी प्रथम सुनवाई 24.08.2022 को की गई थी एवं पुनः दिनांक–12.09.2022 को इसमें सुनवाई कर विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है तथा उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को इस सचिवालय के ज्ञापांक–1199 दिनांक–13.09.2022 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। पुनः अपीलार्थी श्री झा उसी प्रपत्र 'क' दिनांक–21.03.2022 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ही यह प्रथम अपील दायर किया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस अपील वाद में जिसमें (पूर्व में आदेश पारित हो) पुनः अपील आवेदन दायर कर इसकी सुनवाई किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः अपीलार्थी श्री झा द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांक–15.11.2022 पर किसी प्रकार के अग्रतर कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा इसे अस्वीकृत किया जाता है, चूंकि इनके द्वारा उक्त मामलें में दायर प्रथम अपील पर पूर्व में ही अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। सभी संबंधित को सूचित करें। ह0/- 21/11/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक– 1510/रा0स0(सू) दिनांक–22-11-2022

प्रतिलिपिः– लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता–श्री अनिरूद झा, पुर्णियाँ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाँ, बिहार–845401 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/11/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी

O/C

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना—800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या—59 (लो0सू0अ0)/2022—23

श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता—श्री अनिरूद झा, पुर्णियाँ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाँ, बिहार—845401

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.11.2022	श्री लक्ष्मी नारायण झा, पिता—श्री अनिरूद झा, पुर्णियाँ कोर्ट, उत्तर रेलवे स्टेशन की ओर, पुर्णियाँ, बिहार—845401 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक—15.11.2022 इस कार्यालय में दिनांक—17.11.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या—59F 869776 दिनांक—अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री लक्ष्मी नारायण झा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक—21.03.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम— 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। विदित हो कि उक्त प्रपत्र 'क' दिनांक—21.03.2022 के आलोक में श्री झा द्वारा पूर्व में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा लिए गए निर्णय/दी गई सूचना के विरूद्ध अपने प्रथम अपील आवेदन दिनांक—16.08.2022 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—19 के तहत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपर्युक्त अपील आवेदन दिनांक—16.08.2022 के आलोक में अपीलवाद संख्या—42/2022—23 प्रारंभ किया गया था तथा इसकी प्रथम सुनवाई 24.08.2022 को की गई थी एवं पुनः दिनांक—12.09.2022 को इसमें सुनवाई कर विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है तथा उक्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को इस सचिवालय के ज्ञापांक—1199 दिनांक—13.09.2022 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। पुनः अपीलार्थी श्री झा उसी प्रपत्र 'क' दिनांक—21.03.2022 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ही यह प्रथम अपील दायर किया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस अपील वाद में जिसमें (पूर्व में आदेश पारित हो) पुनः अपील आवेदन दायर कर इसकी सुनवाई किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः अपीलार्थी श्री झा द्वारा प्रथम अपील आवेदन दिनांक—15.11.2022 पर किसी प्रकार के अग्रतर कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा इसे अस्वीकृत किया जाता है, चूंकि इनके द्वारा उक्त मामलें में दायर प्रथम अपील पर पूर्व में ही अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। सभी संबंधित को सूचित करें। 21/11/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **—सह—** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	